9

पाठ्यक्रम का अर्थ तथा निर्माण के सिद्धान्त
[MEANING OF CURRICULUM AND ITS FORMULATIVE PRINCIPLES]

" The ideal of the teacher should be so to plan historical course as to give pupils a broad sweep of historical development and not drill them in details of any one of the courses of history."

—Professor Taout

विषय-प्रवेश
(INTRODUCTION)

इतिहास का अर्थ, वैज्ञानिकता एवं उसके उद्देश्यों को जानने के पश्चात् हमें यह निर्णय करना होगा कि उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कौन-सी और कितनी विषय-वस्तु पढ़ानी चाहिए। साथ ही इस विषय-वस्तु का चयन एवं संगठन किस प्रकार किया जाय जिससे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। इन प्रश्नों का उत्तर देना ही यहाँ हमारा उद्देश्य है। ये सभी प्रश्न इतिहास के पाठ्यक्रम के निर्धारण से सम्बन्धित हैं। अतः हम इनका क्रमशः नीचे विवेचन कर रहे हैं—

पाठ्यक्रम का अर्थ
(MEANING OF CURRICULUM)

'कुरीकुलम' (Curriculum) शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द (क्यूररे) 'Currere' से हुई है, जिसका अर्थ है—Race-Course' (दौड़ का मैदान)। इस प्रकार 'पाठ्यक्रम वह दौड़ का मैदान है, जिस पर बालक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है।'

पाठ्यक्रम की प्राचीन अवधारणा में तथ्यों के ज्ञान की सीमा निश्चित करना सम्मिलित था। बौद्धिक नियमों के अर्थ में पाठ्यक्रम शब्द बहुत समय से प्रचलित था, परन्तु ये विषय पाठ्यक्रम के केवल अंग हैं, सम्पूर्ण पाठ्यक्रम नहीं। इन विषयों की

Scanned with CamScanner

सामग्री को 'अन्तर्वस्तु' (Content) कहा जाता है। कक्षा में शिक्षण की दृष्टि से शि की सुविधा के लिए जब इस विषय-सामग्री को व्यवस्थित कर लिया जाता है तो वि हम पाठ्य-विवरण (Syllabus) कहते हैं। पाठ्यक्रम शब्द का प्रयोग कभी-क भ्रमवश 'सिलेबस' के अर्थ में कर दिया जाता है, परन्तु पाठ्य-विवरण पाठ्यक्रम अंशमात्र है, न कि सम्पूर्ण पाठ्यक्रम। कोर्स, अन्तर्वस्तु, पाठ्य-विवरण आदि श पाठ्यक्रम की अवधारणा को स्पष्ट करने में असमर्थ हैं। स्वयं पाठ्यक्रम शब्द अ विस्तार के माध्यम से ही आधुनिक अवधारणा को प्रकट कर पाता है। इसीलिए शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम के स्थान पर **'शिक्षा-क्रम'** अथवा **'पाठ्यचर्या'** पद का प्र करना अधिक उपयुक्त मानते हैं।

पाठ्यक्रम की आधुनिक धारणा विस्तृत एवं व्यापक है। इसके अन्तर्गत कक्षा अन्दर जो भी अनुभव छात्र प्राप्त करता है, वह तो सम्मिलित है ही; साथ ही कक्षा बाहर का अनुभव भी शमिल है। सभी बौद्धिक विषय, विविध कौशल, अनेका कार्य, पढ़ना-लिखना, शिल्प, खेल-कूद आदि क्रियाकलाप पाठ्यक्रम के अन्तर्गत इसे क्रिया एवं अनुभव के रूप में समझना चाहिए, न कि अर्जित ज्ञान या संग्रह कि गये तथ्यों के रूप में। कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, क्रीड़ा-क्षेत्र और विद्यालय प्रांगण में प्राप्त किये जाने वाले समस्त अनुभवों को पाठ्यक्रम अपने आँचल में ल लेता है और वैयक्तिक एवं सामाजिक क्षेत्रों के सभी उद्योगों, व्यवसायों, कौशल अभिवृत्तियों को अपनी परिधि में समेट लेता है। परन्तु इसका आशय यह है पाठ्यक्रम इतना व्यापक है जितना कि जीवन। जीवन के उद्देश्यों और तदनुस शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का यह एक साधन है, न कि स्वयं-साध्य। इसी माध्यम हम जीवनादर्शों की प्राप्ति का प्रयास करते हैं।

आज पाठ्यक्रम की धारणा न तो अति संकीर्ण होकर विषय-सामग्री पाठ्य-विवरणों तक सीमित है और न इतनी व्यापक है कि इसके अन्तर्गत सम्प जीवन आ जाय। इसीलिए जीवन के सम्पूर्ण अनुभवों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित न किया जाता। इसके अन्तर्गत वे ही अनुभव शामिल किये जाते हैं, जिन्हें शिक्षक निर्देशन में छात्र प्राप्त करता है। ऐसे अनुभव प्रायः विद्यालय प्रांगण में, कक्षा अन्दर, खेल के मैदान में, प्रयोगशाला या कर्मशाला में, पुस्तकालय में अथवा अ शैक्षिक कार्यों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। हम पाठ्यक्रम के अर्थ को और अधि स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएँ दे रहे हैं—

1. कनिंघम—"पाठ्यक्रम कलाकार (शिक्षक) के हाथ में एक यन्त्र है जिस वह अपनी सामग्री (विद्यार्थी) को अपने आदर्श (लक्ष्य) के अनुसार अप कलागृह (विद्यालय) में मोड़ता है।"

"It (curriculum) is a tool in the hands of the artist (teacher) to mo his material (pupil) according to his ideal (objective) in his studio (schoo

—Cuningh

2. माध्यमिक शिक्षा आयोग—"पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सैद्धान्तिक विषयों से नहीं है जो विद्यालय में परम्परागत ढंग से पढ़ाए जाते हैं, वरन् इसमें अनुभवों की वह सम्पूर्णता निहित है जिसको छात्र विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, वर्कशॉप, प्रयोगशाला और खेल के मैदान तथा शिक्षकों एवं शिष्यों के अगणित अनौपचारिक सम्पर्कों से प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का सम्पूर्ण जीवन पाठ्यक्रम हो जाता है, जो छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित कर सकता है और उनके सन्तुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता देता है।"

"Curriculum does not mean only the academic subjects traditionally taught in the school, but it includes the totality of experience. That a pupil receives through the manifold activities that go on in the school, in the classroom, library, laboratory, workshop, playground and in the numerous informal contacts between teachers and pupils. In this sense the whole life of the school becomes the curriculum which can touch the life of the students at all points and help in the evolution of a balanced personality. **—Secondary Education Commission**

3. मुनरो—"पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लिया जाता है।"

"Curriculum embodies all the experiences which are utilized by the school to attain the aims of education." **—Munroe**

4. फ्रॉबेल—"पाठ्यक्रम को मानव-जाति के सम्पूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिये।"

"Curriculum should be concieved as an epitome of the rounded whole of the knowledge and experience of the human race." **—Froebel**

5. शिक्षा-आयोग—"विद्यालय पाठ्यक्रम अधिगम-अनुभव की वह समग्रता है जो विद्यालयों द्वारा बच्चों की विद्यालय में या उसके बाहर की बहुमुखी क्रियाओं द्वारा प्रदान की जाती है। ये समस्त क्रियाएँ विद्यालय के परिनिरीक्षण में संचालित की जाती हैं।"

"Curriculum is the totality of learning experience that the school provides for the pupils through all the manifold activities in the school or outsides that are carried or under its supervision."
—Education Commission (1964-66)

पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धान्त
(PRINCIPLES OF CURRICULUM CONSTRUCTION)

यह कहने में अत्युक्ति न होगी कि इतिहास का कोई सामान्य आदर्श पाठ्यक्रम नहीं है, जो विश्व की समस्त जातियों के लिए उपयुक्त हो। परन्तु ऐसा पाठ्यक्रम बनाना सम्भव है। पाठ्यक्रम बनाते समय जिन सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, वे अग्र प्रकार हैं—

Scanned with CamScanner

(1) एकता का सिद्धान्त (Principle of Unity)—इतिहास अखण्ड तथा सम्पू एकता में आबद्ध है। इस एकता को ध्यान में रखकर हमें इतिहास के तथ्यों का चय करना चाहिए। हमें जातियों की उन देनों को चुनना चाहिए जो कि सामान्य भण्डार वृद्धि करती हैं। हमें इस बात को अपने सम्मुख रखना चाहिए कि मानव जाति इतिहास—विकास का इतिहास है। इस कारण हम मानव गाथा को विभिन्न भागों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा मानव-चित्र पूर्ण रूप में प्रस्तुत नहीं किया सकता है। इस एकता को स्थिर रखने के लिए हमें इतिहास की सामग्री को अप सम्पूर्णता के साथ इतिहास-शिक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व निश्चित कर लेना चाहि इस एकता द्वारा हम इतिहास का शिक्षण प्रभावशाली बना सकते हैं और उसका अ विषयों से समन्वय कर सकते हैं।

(2) रुचि का सिद्धान्त (Principle of Interest)—इतिहास की विषय-सामग्री का चयन करते समय ऐसे तथ्य चुने जायें जो बालक में इतिहास के लिए रु उत्पन्न कर सकें परन्तु रुचि को आनन्द से मिश्रित नहीं करना चाहिए। इतिहास के तथ्य चुने जायें जिनके द्वारा बालकों में इतिहास की सत्यता को जाँचने की प्रवृ उत्पन्न की जा सके।

(3) समन्वय तथा केन्द्रीयकरण का सिद्धान्त (Principle of Concentration and Correlation)—पाठ्यक्रम बनाते समय इस सिद्धान्त को ध्यान में रख चाहिए। हरबार्ट (Herbart) ने सर्वप्रथम यह बताया कि हमारा पाठ्यक्रम विभिन्न क में संगठित है। पाठ्यक्रम के तथ्य ऐसे होने चाहिए जिनके द्वारा समन्वय स्थापि किया जा सके। उसके शिष्य जिलर (Ziller) ने इस सिद्धान्त को केन्द्रीयकरण रूप दिया। उसका विचार था कि एक विषय को केन्द्र बनाकर अन्य विषयों शिक्षण प्रदान किया जाय। इसके लिए उसने इतिहास को केन्द्र बनाया, जिस प्रक क्राफ्ट को बेसिक शिक्षा में केन्द्रीय विषय बनाया गया। इस सिद्धान्त को प्रयोग तभी लाया जा सकता है, जब उसके तथ्य इसके लिए चुने जायें। उन्हीं तथ्यों निर्णय किया जाय, जो समन्वय तथा केन्द्रीयकरण स्थापित करने में सहायता प्रदा कर सकें। इसके लिए इतिहास को छात्रों के दैनिक जीवन से सम्बन्धित किया जा और स्थानीय इतिहास की सामग्री को पाठ्यक्रम में रखा जाय। इतिहास की व सामग्री चुनी जाय, जिसमें दोनों प्रकार अर्थात् शीर्षात्मक तथा अनुप्रस्थीय रूप समन्वय स्थापित हो सके। इतिहास का एक पाठ दूसरे पाठ को समझने में सहाय दे। इस प्रकार का समन्वय **'शीर्षात्मक समन्वय'** कहलाता है। जब एक पाठ्य-व दूसरे विषय की पाठ्य-वस्तु से पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करती है, तब अनुप्रस्थीय कहलाता है। इतिहास के पाठ्यक्रम को बनाते समय इस सिद्धान्त ध्यान में अवश्य रखना चाहिए।

(4) शैक्षिक मूल्य का सिद्धान्त (Principle of Educative Vaule)—इतिहा के पाठ्यक्रम का मुख्य ध्येय केवल सूचना देना ही नहीं है, वरन् यह बालकों चरित्र-निर्माण में भी सहायता प्रदान करता है। इसके द्वारा तर्क-शक्ति, विचार-शक्ति

स्मरण-शक्ति तथा निर्णय-शक्ति का भी विकास होता है। इसके द्वारा वर्तमान काल की समस्याओं का हल प्राप्त होता है। इन सब ध्येयों की पूर्ति का ध्यान रख कर हमें इतिहास के तथ्यों का चयन करना चाहिए। यदि इतिहास के तथ्यों का चयन ठीक प्रकार से किया जाय तो इतिहास सामाजिक शिक्षा का स्थान ग्रहण कर सकता है, जो बालक को उसके वातावरण के अनुकूल शिक्षा देकर—उसमें सामाजिक चेतना उत्पन्न कर सकती है।

(5) समय का सिद्धान्त (Principle of Availability of Time)—इस सिद्धान्त का भी ध्यान रखना आवश्यक है। उतनी ही पाठ्य-सामग्री का चयन किया जाना चाहिए जो निर्धारित समय में पूर्ण की जा सके।

(6) आन्तरिक परिस्थितियाँ (Internal Circumstances)—ऐसी अनेक व्यावहारिक परिस्थितियाँ हैं, जो इतिहास के पाठ्यक्रम के निर्धारण को प्रभावित करती हैं। इतिहास-कक्ष तथा उसकी सामग्री इतिहास के तथ्यों के प्रस्तुत करने में अत्यन्त सहायक है। शिक्षालय में यदि एक प्रोजेक्ट है तो उसके द्वारा इतिहास शिक्षक सामाजिक इतिहास को सफलता के साथ प्रस्तुत कर सकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि उन्हीं तथ्यों का चयन किया जाना चाहिए, जिनको प्रस्तुत करने के लिए शिक्षालय सामग्री प्रदान कर सकता है। पुस्तकालय भी पाठ्यक्रम के निर्धारण को बहुत प्रभावित करता है।

(7) वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धान्त (Principle of Individual Differences)—पाठ्यक्रम को बनाते समय इस सिद्धान्त को भी ध्यान में रखना चाहिए। इतिहास की पाठ्य-सामग्री बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास तथा गुणों के अनुसार रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम में उस सामग्री को स्थान दिया जाय जो बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। इस प्रकार पाठ्यक्रम बालक-केन्द्रित होना चाहिए।

(8) सामाजिक अनुरूपता का सिद्धान्त (Principle of Social Relevance)—इस सिद्धान्त के अनुसार इतिहास के पाठ्यक्रम में उस सामग्री को भी स्थान दिया जाना चाहिए, जिसके द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके और छात्र उसके अध्ययन से अपने भावी जीवन में समाज में सक्रिय भाग ले सकें।

प्रो. सी. पी. हिल ने पाठ्यक्रम के निर्धारण के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये हैं[1]—

1. पाठ्यक्रम इस प्रकार नियोजित किया जाय कि वह विद्यालयों की आवश्यकताओं को पूर्ण करे।
2. पाठ्यक्रम इस प्रकार रचा जाय जिससे इतिहास का अन्य विषयों से सम्बन्ध स्थापित किया जा सके।
3. बालकों की रुचि, अवस्था आदि का ध्यान रखकर विभिन्न स्तरों के अनुकूल निर्धारित किया जाय।

1. **Hill, C.P.** : *Suggestions on the Teaching of History*, pp. 15-17.

Scanned with CamScanner

4. पाठ्यक्रम में लोच (Flexibility) होना चाहिए जिससे उसमें नवीन अनुभवों को स्थान दिया जा सके।
5. उच्च कक्षाओं के लिए विशेष काल निर्धारित किये जायें।
6. इतिहास का पाठ्यक्रम सदैव सामाजिक पुनर्जीवन के निर्माण के लिए एक साधन का कार्य करे।

प्रो. घाटे के अनुसार, इतिहास के पाठ्यक्रम का निर्धारण निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए—

1. जूनियर स्तर के लिए केन्द्रीय विचार या सम्बन्धित विचारों के समूह का चयन किया जाना चाहिए और इसको आधार बनाकर पाठ्यक्रम का ढाँचा तैयार किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम उस केन्द्रीय विचार का ऐतिहासिक क्रम के अनुसार विकास प्रदर्शित करे।
2. उन तथ्यों का चयन किया जाय तो विश्लेषणात्मक हों तथा मानवीय विकास या उन्नति की योजना में उपयुक्त हों।
3. उन तथ्यों का चयन होना चाहिए जो क्रम उत्पन्न करें तथा इतिहास के प्रस्तुतीकरण में एकता बनी रहे।
4. उन तथ्यों को चुना जाय जो वर्तमान विश्व को किसी न किसी रूप में स्पष्ट करें और जो छात्रों के लिए महत्त्वपूर्ण एवं अर्थपूर्ण हैं।

के. पी. चौधरी ने पाठ्यक्रम निर्धारण के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये हैं-

1. पाठ्यक्रम निर्धारण में बालक तथा उसके वातावरण को केन्द्र बनाया जाय।
2. उन तथ्यों को चुना जाय जो भारतीय समाज को समझने में सहायता प्रदान करें।
3. उन तथ्यों का चयन किया जाय जो वर्तमान जीवन की व्याख्या करने में सहायता प्रदान करें।
4. इतिहास के तथ्यों का चयन करते समय इसके उद्देश्यों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए।